मध्य प्रदेश विधान सभा में नवनिर्वाचित विधायकों के लिए आयोजित प्रबोधन कार्यक्रम में माननीय अध्यक्ष का सम्बोधन

आज के प्रबोधन कार्यक्रम में मध्य प्रदेश विधान सभा के माननीय अध्यक्ष, जिनको विधान सभा का अनुभव है, विधान सभा में मंत्री का अनुभव है, लोक सभा में मंत्री के रूप में अनुभव है और विशेष रूप से संसदीय कार्य मंत्री के रूप में भी अनुभव है, ऐसे अनुभवी और मुख्य मंत्री जी ने तोमर साहब के लिए सही कहा कि मध्य प्रदेश विधान सभा के गम्भीर माननीय अध्यक्ष नरेन्द्र सिंह तोमर साहब, मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्य मंत्री माननीय मोहन यादव जी, उत्तर प्रदेश विधान सभा के अध्यक्ष माननीय सतीश महाना जी, जिनको लंबा अनुभव विधान सभा का रहा, संगठन का रहा और कई बार मंत्री बनने का भी अनुभव रहा है, माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी, प्रतिपक्ष के नेता उमंग सिंघार जी, लोक सभा के महासचिव उत्पल कुमार सिंह जी, राज्य के उप मुख्यमंत्रीगण, माननीय मंत्रीगण, माननीय विधायकगण, सभी अधिकारीगण, मैं सभी माननीय विधायकों को बहुत-बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं, जो चुनकर आए हैं और जिनको जनता ने बहुत अपेक्षाओं और आकांक्षाओं से चुना है।

मुझे आशा है कि वे जनता की अपेक्षाओं और आकांक्षाओं को पूरा करेंगे। मुझे यह भी खुशी है कि 16वीं विधान सभा में करीब 30 प्रतिशत 69 माननीय सदस्य पहली बार चुनकर आए हैं। कई माननीय सदस्य ऐसे भी हैं, जिनको केन्द्र में मंत्री बनने का भी अनुभव है, लेकिन राज्य विधान सभा में पहली बार चुनकर आए हैं। निश्चित रूप से जो पहली बार चुनकर आए हैं और जो कई बार विधायक रह चुके हैं, उन सबको आज के कार्यक्रम के माध्यम से नए अनुभव और नए ज्ञान का लाभ मिलेगा। अनुभव और ज्ञान एक ऐसी चीज है, जिसको जब मिले, जिस समय मिले, प्राप्त करते रहना चाहिए।

विशेष रूप से लोकतांत्रिक संस्थाओं में परिदृश्य परिर्वतन होता रहता है, राजनीतिक परिदृश्य चेंज होता है, सामाजिक परिदृश्य चेंज होता है और आर्थिक परिदृश्य भी चेंज होता है। इसलिए हमारा प्रयास रहना चाहिए कि हम जितना अनुभव जनता से प्राप्त करें, उनसे सीखकर प्राप्त करें, उस अनुभव और ज्ञान का लाभ विधान सभा के माध्यम से राज्य की जनता को मिले।

मध्य प्रदेश का एक बहुत बड़ा और गौरवशाली इतिहास रहा है। इस मध्य प्रदेश की धरती से जिन्होंने भारत का संविधान बनाया, भारत के संविधान के शिल्पकार हैं और आज भी यह संविधान हमारा मार्गदर्शन ही नहीं करता है अपितु यह एक जीवंत दस्तावेज है, उन डॉ. भीमराव अम्बेडकर जी की यह जन्मस्थली है। स्वतंत्रता सेनानी, जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन को एक नई दिशा दी, वह झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जी हों, चंद्रशेखर आजाद जी हों, पूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय शंकरदयाल शर्मा जी हों और जिन्होंने राजनीति से ऊपर उठकर हमारे लोकतंत्र को एक नई दिशा दी, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी भी इसी धरती से आते हैं।

इस धरती की एक बड़ी महिमा है और मुझे खुशी है कि यहां के मुख्यमंत्रियों का और यहां के अध्यक्षों का एक गौरवशाली इतिहास रहा है, गौरवशाली परम्पराएं रही हैं। आप सभी को सौभाग्य मिला है कि आप इस गौरवशाली विधान सभा के सदस्य हैं। इस गौरवशाली विधान सभा के सदस्य होने के नाते आपकी जिम्मेदारी ज्यादा बन जाती है कि आप विधायक के रूप में जहां जनता की अपेक्षाएं और आकांक्षाएं को तो पूरा करेंगे ही, लेकिन उसके साथ-साथ किस तरीके से हम प्रदेश के सर्वांगीण विकास की योजना बनाएंगे।

विधान मंडल हमारी लोकतांत्रिक संस्थाओं की एक प्रमुख संस्था होती है और इस नाते राज्य की लोकतांत्रिक संस्थाओं का सर्वोच्च सदन होने के नाते हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम राज्य के विकास के लिए और राज्य की जनता की आकांक्षाओं के लिए इस विधान मंडल में चर्चा करें कि हम किस तरीके से चर्चा और संवाद के साथ प्रदेश के अंदर सामाजिक और आर्थिक बदलाव कर सकते हैं।

जब हम लोकतंत्र के इतिहास को देखते हैं तो लोकतंत्र हमारे विचारों में, हमारी कार्यशैली में है। लोकतंत्र हमारी आजादी के बाद का लोकतंत्र नहीं है। हमारा लोकतंत्र ऋग्वेद से लेकर आज तक है और कितने ही समय तक लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के माध्यम से समाज में सामाजिक परिवर्तन भी हुए हैं और अच्छी परम्पराएं डाली हैं। लोकतंत्र के माध्यम से हमने सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्यों को जीवंत रखा और इसीलिए लोकतांत्रिक परिवेश और लोकतंत्र हमारे विचारों में, अभिव्यक्ति में और कार्यप्रणाली में है। हम आजादी के आंदोलन को भी देखें तो भी हमने लोकतांत्रिक प्रक्रिया से आजादी का आंदोलन लड़ा।

उस समय कोई सोच नहीं सकता था कि आजादी के आंदोलन में हम जनआंदोलन के माध्यम से आजादी प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन जनआंदोलन के आधार पर हमने आजादी प्राप्त की।

जब इतिहास और विरासत लिखी जाती है तो इस जनआंदोलन के कारण हमारी आजादी का नया इतिहास आया। कई देश ऐसे भी हैं, जिन्होंने कोई आंदोलन नहीं किया, कोई संघर्ष नहीं किया, कुर्बानियां नहीं दीं, बलिदान नहीं दिए लेकिन वे देश भी आजाद हुए। लेकिन हमारे यहां जो जनआंदोलन था, उस जनआंदोलन से दुनिया ने प्रेरणा ली और आज भी 75 वर्ष की लोकतंत्र की यात्रा में हमने जो कुछ भी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तन किया इन लोकतांत्रिक संस्थाओं के माध्यम से किया। चर्चा, संवाद और विचार-विमर्श से किया तथा सहमति-असहमति से किया। इसलिए हम दुनिया को कहते हैं कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। लोकतंत्र हमारी परंपराओं, परिपाटियों और विचारों में तो है ही, साथ ही दुनिया में लोग इतनी बड़ी जनसंख्या के होते हुए भी हमारा निष्पक्ष रूप से चुनाव कराना देखते हैं।

माननीय प्रधान मंत्री जी पी-20 में आए थे और उन्होंने कहा था कि दुनिया के देश आश्चर्यचकित हैं। 90 करोड़ लोगों में मतदान की प्रक्रिया करवाना, उसे निष्पक्ष और निर्बाध रूप से करवाना तथा दूर-दराज के गांवों तक मतदान करवाना, इसे देखकर दुनिया के देश आश्चर्यचकित होते हैं, क्योंकि दुनिया का ऐसा कोई भी लोकतांत्रिक देश नहीं है, जिसकी आबादी हमसे आधी हो, लेकिन उसके बाद भी 75 वर्षों की इस लोकतंत्र की यात्रा में हमारा चुनाव प्रबंध पारदर्शितापूर्ण और उत्तरदायी रहा।

हमने जितने सहज रूप से लोकतांत्रिक प्रक्रिया के द्वारा सत्ता का हस्तांतरण किया, वह भी दुनिया में अपने आप में आश्चर्यचकित करने जैसा है। जनता जनादेश देती है और जिसको जनादेश देती है, उसके लिए सहज रूप से सत्ता का हस्तांतरण होता है। इसलिए लोकतंत्र की प्रक्रिया ही सबसे श्रेष्ठ प्रक्रिया है। यह हमने साबित भी किया है। हमारे पास आजादी के बाद कई विकल्प थे, लेकिन हमने संसदीय लोकतंत्र को अपनाया।

आज जब हम कभी आईपीयू के सम्मेलन में जाते हैं तो हमारा यही मानना होता है कि संसदीय लोकतंत्र ही शासन चलाने की सर्वश्रेष्ठ पद्धति है। हमारे यहां पर यही नहीं है कि केन्द्रीय रूप से लोकतंत्र हो, हमारी पंचायतों से लेकर संसद तक लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत चुनाव करवाना और उन प्रक्रियाओं से लोगों के सामाजिक-आर्थिक जीवन में परिवर्तन करना, यही हमारे लोकतंत्र की ताकत है। इसलिए जब हमारी ताकत हमारा लोकतंत्र है तो लोकतंत्र की सर्वोच्च संस्था विधान सभाएं हैं तथा लोक सभा है।

ये विधान सभाएं तथा लोक सभा कैसे चलनी चाहिए, इसकी जिम्मेदारी माननीय विधायकों तथा सांसदों की है। संस्था, संस्था की कार्यप्रणाली उसकी श्रेष्ठता है, लेकिन उसमें काम करने वाले, अपने दायित्वों

को निभाने वाले, उसकी हिस्सेदारी लेने वाले व्यक्ति पर निर्भर करता है कि हम लोकतांत्रिक संस्थाओं के माध्यम से कैसे बेहतर परिणाम ला सकते हैं।

हम कैसे सामाजिक, आर्थिक कल्याण के साथ राजनीतिक परिदृश्य के अन्दर विकास की एक नई अवधारणा खड़ी कर सकते हैं तथा हम अपने अपने राज्यों में नैतिक रूप से व्यापक बदलाव कर सकते हैं। हमारी बार - बार चिंता यही रहती है कि विधान सभाओं में आज जो उनकी गरिमा गिरती जा रही है, शालीनता गिरती जा रही है, जिसका जिक्र अभी हमारे प्रतिपक्ष के नेता ने भी किया है।

मुझे याद है कि वर्ष 2001 में जब देश भर की सारी विधान सभाओं के अध्यक्ष तथा सभी राजनीतिक दलों के नेता बैठे थे, उस समय सबने एक बात की चिंता की थी कि हमारी लोकतांत्रिक संस्थाओं के अन्दर हमारी गरिमा और शालीनता गिरती जा रही है, उस विषय पर लंबी चर्चा हुई थी। और सभी का मानना था कि सदन के अंदर गरिमा और शालीनता बनी रहनी चाहिए। जब गरिमा और शालीनता बनी रहेगी तो विधान सभा के अंदर अच्छी डिबेट होगी, चर्चा होगी, संवाद होगा। उससे बेहतर परिणाम भी आएगा और उसमें जो हिस्सेदारी लेने वाले लोग हैं, वे भी सर्वश्रेष्ठ नेता बनेंगे।

आज चाहे लोक सभा हो या विधान सभाएं हों, देश और प्रदेश के ऐसे - ऐसे नेता हैं, जो इन सदनों से ही नेता बने हैं। इन सदनों के अंदर चर्चा तथा संवाद से ही नेता बने हैं। एक विधायक अपने क्षेत्र में लोकप्रिय हो सकता है।

अगर वे राज्य के नेता बनना चाहते हैं, तो उसके लिए विधान मंडल एक ऐसा मंच है, जिसके माध्यम से वे राज्य की भावनाओं को अभिव्यक्त कर सकते हैं। वे कानून बनाते समय सार्थक चर्चा कर सकते हैं। जो जितनी सार्थक चर्चा करेंगे, वे प्रदेश के उतने ही सफल लीडर बनेंगे।

मुझे याद है कि मैं विधान सभा और लोक सभा में रहा हूं। माननीय विधायक हों या माननीय सांसद हों, वे अपने क्षेत्र तक ही सीमित रह जाते हैं। वे अपने क्षेत्र की सीमित बातों की चर्चा करते हैं। पूरे देश या प्रदेश की चर्चाओं में उनकी रुचि कम हो गई है। यह बहुत चिंता का विषय है। जैसा कि तोमर साहब ने प्रश्न काल के बारे में कहा है।

प्रश्न काल में प्रश्न पूछने वाले जितने संक्षिप्त में प्रश्न पूछेंगे, मंत्री जी को उत्तर देने में उतनी ही परेशानी होगी और वे जितना लंबा प्रश्न पूछेंगे, मंत्री जी को जवाब देने में उतनी ही आसानी होगी। इसलिए संक्षिप्त में प्रश्न पूछना और संक्षिप्त में माननीय मंत्री जी को जवाब देना, यह प्रश्न काल का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। जो माननीय मंत्री ज्यादा लंबा जवाब देते हैं और जब उनसे सप्लिमेंट्री प्रश्न पूछे जाते हैं, तो वे उनमें उलझ जाते हैं। इसलिए प्रश्न काल में जब माननीय विधायक के प्रश्न लगे तो वे पूरी तैयारी के साथ प्रश्न पूछेंगे, तो निश्चित रूप से मंत्री जी भी पूरी तैयारी करके सदन में आएंगे।

मेरा मानना है कि विधान सभा के जितने ज्यादा सत्र होंगे, सरकार में उतनी ही पारदर्शिता आएगी। उसका अनुभव और लाभ माननीय मंत्रियों को मिलेगा। क्योंकि जब माननीय मंत्री जी ब्रीफिंग लेंगे तो उनकी जानकारी बढ़ेगी। लोक सभा में यह नेचर है कि जब कभी माननीय मंत्री जी आते हैं, तो बड़ी लंबी ब्रीफिंग पढ़ते हैं।

क्योंकि अभी राज्यों में यह प्रक्रिया और परंपराएं कम हैं, तोमर साहब यहां अध्यक्ष हैं, तो समय समय पर वे माननीय मंत्रीगण एवं माननीय विधायकों से चर्चा करते रहेंगे।

मंत्री जी भी उतना ही उस डिपार्टमेंट को समझेंगे और प्रश्न पूछने वाले माननीय विधायक भी उस डिपार्टमेंट की पूरी जानकारी के साथ, एक प्रश्न के अंदर अगर वे सारे पुराने प्रश्नों के जवाबों का अध्ययन करने के बाद प्रश्न लगाएंगे, उस प्रश्न का उत्तर पूछेंगे, तो निश्चित रूप से सदन के अंदर भी और सरकार के अंदर भी पारदर्शिता आएगी। सरकार भी पूरी तैयारी के साथ माननीय विधायक जी को जवाब देगी।

अभी चिंता इस बात की है कि हर कानून बनाते समय, कानून पर लंबी चर्चा होनी चाहिए, सार्थक डिबेट होनी चाहिए।

कई बार मुझे लगता है कि जैसे कोर्ट में दोनों पक्षों के वकील आते हैं और दोनों को एक दूसरे के विपक्ष में बोलना ही बोलना है, क्योंकि वह उस पक्ष का वकील है।

मेरा मानना है कि अगर कानून सही है तो प्रतिपक्ष को सकारात्मक चर्चा करनी चाहिए। अगर कानून में कमी है तो तर्क के साथ चर्चा करनी चाहिए। सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष का काम एक है। सरकार जो नीतियां बना

रही हैं, उसकी नीतियों को सकारात्मक रूप से जितनी आलोचना करेंगे, सरकार उतनी ही पारदर्शिता से काम करेगी।

अगर हम कानून बनाते समय तर्कों के साथ चर्चा करेंगे, तो कानून बेहतर बनेगा और उससे राज्य का बेहतर कल्याण होगा। कानून बनाते समय हमारी चर्चा गंभीर होनी चाहिए।

मैं माननीय अध्यक्ष महोदय से कहूंगा कि हर कानून बनाने से पहले कोई न कोई संशोधन लाया गया होगा। माननीय विधायक को चाहिए कि उन पुराने कानूनों पर पक्ष-विपक्ष की जो चर्चा हुई है, उस पर रिसर्च करके, अध्ययन करके कानून पर चर्चा करेंगे, तो आप बेहतर तरीके से कानून पर चर्चा कर पाएंगे। इसलिए हर विधान सभा में भी एक रिसर्च यूनिट बननी चाहिए।

विधान सभा में सभी दलों के माननीय सदस्य होते हैं। उससे जितना ज्ञान माननीय विधायक प्राप्त करना चाहें, वे करें। मेरा मानना है कि कानूनों पर सार्थक चर्चा होनी चाहिए।

अगर कानून को ब्यूरोक्रेसी बनाती है तो उसे विधायिका लाती है। कानून सरल भाषा में होना चाहिए। कानून बनाने के उद्देश्यों से लेकर उसके इफेक्ट तक, चूंकि जब एक कानून बन जाता है तो उसका बहुत लम्बा प्रभाव पड़ता है। कानून बनने के बाद, कई बार एक्ट आने के बाद उसके रूल्स बनने में सालों लग जाते हैं।

मेरा मानना है कि जब एक्ट बन जाए, तो कम समय के अंदर उसके रूल्स बन जाए, क्योंकि उसका ज्यादा प्रभाव पड़ता है। मैंने पार्लियामेंट में भी कई बार देखा है कि बिल पास हुए दो साल हो चुके हैं, लेकिन उसके रूल्स अभी तक नहीं बने हैं।

मैंने ऐसा भी अनुभव किया है। इसलिए मेरा मानना है कि जैसे ही बिल पास हो, उसके रूल्स भी साथ के साथ बन जाए, ताकि उसके बेहतर परिणाम मिले।

मुझे पता है कि 13वीं लोक सभा, 14वीं लोक सभा के कई एक्ट्स बन गए हैं, लेकिन उनके रूल्स ही नहीं बने हैं। जब तक रूल्स नहीं बनेंगे, तब तक वे लागू नहीं होंगे।

इसलिए कानून बनाते समय उस कानून का बहुत लम्बा इफेक्ट पड़ता है। एक कानून का उस प्रदेश की जनता पर बहुत प्रभाव पड़ता है। कानून बनाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण भूमिका हमारे सदन की होती है और उस पर चर्चा व डिबेट बहुत सकारात्मक होनी चाहिए।

मुझे लगता है कि आप सबको बहुत लम्बा अनुभव है। मेरा तो इतना ही कहना है कि जो नई परंपरा चल चुकी है कि नियोजित तरीके से विधान सभाओं में व्यवधान पैदा करना, उस परंपरा को हमें समाप्त करने का प्रयास करना चाहिए।

कई बार तो नियोजित तरीके से विधान सभा और लोक सभा को केवल स्थगित करना है, कोई तर्क नहीं, कोई डिबेट नहीं करनी है, यह लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छी परंपरा नहीं है।

इसलिए मैं हमेशा हर मंच पर कहता हूं कि हमारा विरोध हो सकता है, प्रतिपक्ष का काम विरोध करना है और जोर से असहमति करना है। अगर असहमति हो, तर्क हो तो वह सदन में हो।

अगर सदन के अंदर व्यवधान होगा, सदन ज्यादा स्थगित होगा तो उसका सकारात्मक उत्पादकता पर प्रभाव पड़ेगा।

सदन में जितनी चर्चा होगी, प्रतिपक्ष को भी अपनी बात कहने का मौका मिलेगा और सरकार को भी अपनी बात कहने का मौका मिलेगा। इसलिए हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम विधान सभा को मॉडल बनाए। कोई भी विषय हो, कोई भी मुद्दा हो, अगर उस मुद्दे पर चर्चा होगी तो विधान सभा की महिमा भी बढ़ेगी और उसकी गरिमा भी बढ़ेगी।

कई बार हमें लगता है कि यह विषय है और सरकार हमारे तर्क को नहीं मानती तो उसके लिए कई सारी चीजें होती हैं, जिनका उपयोग हम कर सकते हैं। लेकिन विधान सभा न चले, यह अच्छी परंपरा नहीं है।

क्योंकि हम सब स्पीकर कांफ्रेंस में इस बात की चिंता करते हैं कि लगातार विधान सभाओं की बैठकों की संख्या घटना हम सब के लिए चिंता का विषय है, विशेष रूप से माननीय विधायक के लिए जो किसी भी पक्ष के लिए चुनकर आया है।

इसलिए विधान सभाओं की बैठकों की संख्या न घटे, विधान सभा पूरे समय चले और पहली बार आने वाले माननीय सदस्यों को पर्याप्त समय, पर्याप्त अवसर विधान सभा में मिले, ताकि वह बेहतर तरीके से अपने क्षेत्र व प्रदेश की बातों को कह सकें।

मैंने प्रयास किया है, मुझे बहुत लम्बा अनुभव नहीं था, लेकिन लोक सभा के पहले सत्र के अंदर 137 परसेंट उत्पादकता रही। हमारी लोक सभा में एक घंटे का भी व्यवधान नहीं हुआ और लोक सभा पूरे समय चली। रात को बारह-बारह बजे तक चली, ग्यारह बजे तक चली और ग्यारह-बारह बजे तक लोग उपस्थित रहे।

नरेन्द्र सिंह तोमर जी ने सही कहा कि श्रेष्ठ विधायक वही बन सकता है, जो पूरे समय सदन में बैठे। हमारे कई माननीय सांसद हैं, जो सुबह आते हैं और संसद के समाप्त होने तक बैठे रहते हैं। हम जितना समय सदन में बैठेंगे, हमें उतने ही नए अनुभव मिलेंगे और उन अनुभवों का लाभ निश्चित रूप से मिलेगा।

मेरा दावा है कि केवल एक विधायक बनना है तो आप आकर चले जाएं। अगर आपको प्रदेश का नेता बनना है तो पूरे समय विधान सभा में बैठ कर तर्क से, मुद्दों से चर्चा करने की परंपराओं को हमें डालना चाहिए। मेरा मानना है कि जितनी श्रेष्ठ चर्चा होगी, संवाद होगा, वाद-विवाद होगा, उतना ही बेहतर परिणाम होगा।

सरकार के लिए भी यही सकारात्मकता है कि चर्चा हो, संवाद हो, क्योंकि सरकार के पास भी पक्ष तभी आता है। माननीय मुख्य मंत्री जी, राज्य की विधान सभा में एक ऐसा पक्ष रहता है।

जहाँ राज्य की विधान सभा में राज्य की सारी चर्चाओं का, सारी समस्याओं का, सारे मुद्दों का और हमें जिनकी जानकारी नहीं भी होती है, तो प्रदेश की सारी जानकारी मिलने का कोई एक मंच है, तो वह विधान सभा है, जहाँ पूरे प्रदेश की जानकारी आपको मिल जाती है। उन जानकारियों को हम सकारात्मक रूप से लें।

यदि कोई प्रश्न लगा है, तो वह प्रश्न क्यों लगा है, उस प्रश्न के पीछे के अनुभव, क्या कारण है कि विधायक ने प्रश्न किया है, अगर उसके पीछे के कारण को जाना जाय, क्योंकि प्रश्न के बाद भी उस पर रिसर्च होगा। किसी ने नया मुद्दा उठाया है, चाहे वह प्रतिपक्ष का ही व्यक्ति क्यों न हो, अगर मुद्दा सही है, सकारात्मक है, तो उसे सकारात्मक रूप से लेकर उसके बेहतर परिणाम के लिए प्रयास करना चाहिए। इसलिए राज्य की विधान सभा लोकतंत्र के अन्दर एक स्वच्छ मंच है, जहाँ हम राज्य का सर्वांगीण विकास कर सकते हैं, लोगों की समस्याओं का समाधान कर सकते हैं, उनकी कठिनाइयों का समाधान कर सकते हैं।

हमें जनता इसलिए चुनकर भेजती है कि हम उनकी बातों को, उनके अनुभवों को, उनकी कठिनाइयों, अपेक्षाओं-आकांक्षाओं को हम सदन में रख सकें। सरकार से यह अपेक्षा रहती है कि वह जनता की अपेक्षाओं-आकांक्षाओं को पूरा करे।

मध्य प्रदेश की विधान सभा का एक गौरवशाली इतिहास रहा है। माननीय अध्यक्ष जी भी बहुत अनुभवी हैं। हमें नयी परम्पराएं, नयी परिपाटियाँ शुरू करनी चाहिए। देश के अन्दर यह एक मॉडल विधान सभा बने, जहाँ पर पूरे समय तक विधान सभा चले। हर मुद्दे पर चर्चा हो और सरकार भी उठाये गये मुद्दों को सकारात्मक रूप में ले, चाहे वह पक्ष या प्रतिपक्ष के द्वारा उठाया गया हो, तो हम एक बेहतर परिणाम ला सकते हैं। प्रदेश की जनता का कल्याण करने की जो जिम्मेदारी हमें दी गई है, हमें जिन अपेक्षा-आकांक्षाओं और जिस विश्वास के साथ हमें चुनकर भेजा गया है। मुझे आशा है कि हम जनता के उस विश्वास और भरोसे को कायम करेंगे और जिस तरह से सरकार चुनकर आयी है, मुझे आशा है कि यहाँ के मुख्यमंत्री जी उस विश्वास और भरोसे को और कायम करते हुए, बेहतरी के लिए काम करेंगे।

मध्य प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है, जो राज्य के विकास का एक नया मॉडल बना सकता है और वह मॉडल बनाने में सभी विधायकों का सकारात्मक रूप से सहयोग होगा।

आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद।

———